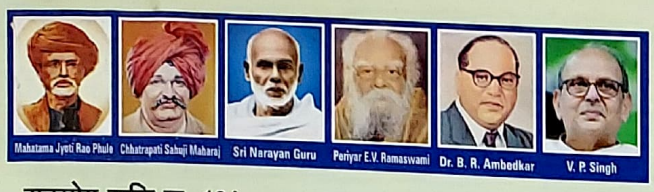

वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 10/-

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक 9-10 संयुक्तांक मई-अगस्त 2010

ओबीसी सांसदों एवं मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल का प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात

पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी के कन्वेनर एवं राज्यसभा सासंद श्री वी. हनुमंत राव के नेतृत्व में मंत्रियों और सासंदों का प्रतिनिधिमंडल 26 अगस्त 2010 को प्रधानमंत्री कार्यालय में डा. मनमोहन सिंह से मिला।

प्रतिनिधिमंडल में योजना एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी. नारायणसामी उर्जा राज्यमंत्री भारत सिंह सोलंकी, सूचना एवं प्रोद्योगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धरमसिंह के अलावा कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडी(यू), पीएम को एआईएडीएमके बीजेपी के 50 सासंद मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि ओबीसी आरक्षण नीति को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है, एवं ऐसी कोई सरकारी मशीनरी नहीं है जो इसे मॉनिटर कर सके। सभी के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा गया एवं आग्रह किया गया कि ''अन्य पिछड़े वर्गों'' हेतु संसदीय कमेटी गठित किया जाए। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में गौर करने का विश्वास दिलाया।

ओबीसी हेतु संसदीय समिति के मुद्दे पर ससंदीय मामलों के मंत्री वी. नारायणसामी एवं फेडरेशन के महासचिव जी. करुणानिधि पीएम से मिले

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा वाराणसी में सिविल सेवा परीक्षा - 09 के सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन समारोह

(विस्तृत रिपोर्ट अन्दर)

उ0 प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पारसनाथ मौर्य, नव चयनित IAS प्रेमचंद चौधरी को सम्मानित करते हुए

तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान के कुलपति पद्मश्री प्रो. जी.एन. सैमटेन, नव चयनित IAS आलोक कुमार को सम्मानति करते हुए

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा वाराणसी में सिविल सेवा परीक्षा-09 के सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन समारोह का समूह चित्र

श्री राहुल कुमार का सम्मान करते
बाएं से श्री अमृताशु एवं श्री जी. करुणानिधि

श्री अनूप कुमार वर्मा का सम्मान करते
श्री रविन्द्र राम

श्री शशांक कुमार यादव का सम्मान
करते श्री कुन्दन लाल

श्री तरुण कुमार कन्नौजिया का
सम्मान करते डॉ. हेमन्त कुशवाहा

श्री प्रशान्त सिंह का सम्मान करते
श्री धमेन्द्र देव प्रसाद

श्री सदानन्द का सम्मान करते
श्री अशोक कुमार

श्री भाष्कर का सम्मान
करते श्री विनोद प्रसाद शर्मा

श्री मनोज कुमार राय का
सम्मान करते श्री बीरु मौर्य

श्री प्रेमचन्द्र चौधरी का सम्मान करते
मो. जलालुद्दीन

श्री गुंजन वर्मा का सम्मान करते
श्री मिथिलेश कुमार

श्री सदानन्द का सम्मान
करते श्री एस.एन. सिंह (एलआईसी)

श्री पीयूष कुमार यादव का
सम्मान करते श्री दिलीप कुमार

सभागार का विहंगम दृश्य

श्री शशांक कुमार यादव एवं उनकी माता जी का पुष्प गुच्छ
द्वारा सम्मान करती श्रीमती शोभना प्रधान (दाएँ)

वॉयस ऑफ ओबीसी
अन्य पिछड़े वर्गों की त्रैमासिकी

अंक : 9-10 : मई-अगस्त 2010

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

([illegible] प्रकाशनार्थ)

परामर्श
[illegible]
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी आशुतोष

संपादक
अशोक आनंद
9415224163

प्रबंध संपादक
आशुतोष
9415302104

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुशवाहा
9453360701
विनोद प्रसाद वर्मा
9415669947
नवीन कुमार यादव
9305310807

प्रबंधक
अरविन्द कुमार

सहयोग
मनोज आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार,
विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार
कुमार शशि, उमेश कुमार पाल, जयशंकर कुमार,
मो. जलालुद्दीन, श्रीकान्त प्रसाद, दिलीप प्रसाद

पत्राचार
ई-मेल : vobo.up@gmail.com
द्वारा- होटल सुरभि इण्टरनेशनल
मलदहिया, वाराणसी-221007

सहयोग राशि : 10 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादक मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, नाटी इमली, वाराणसी

7 अगस्त, मण्डल कमीशन और वी.पी. सिंह

सबसे पहले मंडल कमीशन फिर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वी.पी. सिंह और फिर 7 अगस्त 1990 को नहीं भूला जा सकता।

सबसे पहले मंडल आयोग की स्थापना पर आते हैं। 1979 को जनता दल की तत्कालीन सरकार में प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई के कार्यकाल में मंडल आयोग की स्थापना की गई। आयोग के अध्यक्ष सांसद श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल नियुक्त किए गए। जिन्होंने 1980 में भारतीय सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में श्रीमंडल ने कुल आबादी का 52 प्रतिशत ओबीसी को माना और इसमें 3743 जातियों, समुदायों की सूची प्रस्तुत की। इस आकलन में एससी/एसटी शामिल नहीं हैं।

सामाजिक उत्थान और सरकार के उत्तरदायित्व को समझें तो हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि काका कालेलकर ने 1955 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से अपनी रिपोर्ट पेश की थी जो सदन में रखी तक न जा सकी। इसके बाद 1979 में अर्थात 24 वर्षों बाद दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना होती है। जिसकी रिपोर्ट 1980 में आती है। इसके दस वर्षों तक यह रिपोर्ट न तो भारतीय संसद में पेश हो पाती है न ही इस पर कोई बहस हो पाती है। सन 1990 में अर्थात स्वतंत्रता के 43 सालों बाद पहली बार यह रिपोर्ट सदन में रखी जाती है और बहस होती है।

सन 1990 में भारत के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। वे देश के आठवें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2 दिसम्बर 1989 से 10 नवम्बर 1990 तक मात्र था। कुल ग्यारह महीने आठ दिनों का कार्यकाल था। लेकिन वी.पी. सिंह आज महापुरुषों की पंक्ति में खड़े हैं। वजह भी हम जानेंगे आखिर क्यों ?

अब आते हैं 7 अगस्त 1990 के उस ऐतिहासिक दिन के घटनाक्रम पर जब भारतीय संसद में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने कहा उनके शब्दों को उन्हीं से सुनें - "इस वैभवपूर्ण सदन में सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए आज मैं प्रसन्न हूँ, जिसे मेरी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लिया है"।

"माननीय सदस्यों (एमपी) आप जानते है कि 40 साल पहले संविधान अंगीकार करते समय आर्टिकल 340(1), 15(4) और 16(4) के संदर्भ में यदि सोचा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (बी) की पहचान की जायेगी, उनकी तकलीफें दूर होंगी एवं उनकी दशा में सुधार किया जायेगा। यह हमारे संविधान के मूल स्वरूप के प्रति नकार है कि आज तक उनकी ये जरूरतें पूरी नहीं हो पायीं"।

इस घोषणा ने ओबीसी के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया। ओबीसीज के लिये यह ऐतिहासिक प्रसन्नता का दिन था। लेकिन चंद दिनों में सरकार गिर गई। फैसले से पूर्व उन्हें ऐसा होने का एहसास थे। क्योंकि जादवपुर विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन लागू करने के संबंध में उन्होंने कहा - "गोल को किक करने में संभव है मैंने अपने पैर तोड़ लिए हों, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैंने गोल कर दिया है। आज सामाजिक न्याय पूरी तरह से राष्ट्रीय एजेण्डे में है। मेरे लिए यह आत्म संतोष की बात है। ... लोकतंत्र केवल एक बैलेट बॉक्स और सरकार नहीं है। यदि किसी के सिर पर किसी का जूता हो तब लोकतंत्र कहां है"?

आजके दिन हम माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें क्रांति बीज पुरुष की संज्ञा देते हैं और आभार प्रकट करते हुए नमन करते है। 7 अगस्त जिन्दाबाद ! वी.पी. सिंह अमर रहें !

आशुतोष

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा वाराणसी में सिविल सेवा परीक्षा - 09 के सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन

वाराणसी में 24 जुलाई 2010 को, होटल क्लार्क्स के आम्रपाली सभागार में सिविल सेवा परीक्षा-2009 में उ.प्र. एवं बिहार के अन्य पिछड़े वर्गो के सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। उक्त आयोजन उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ एवं अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ का गठन विगत चार वर्ष पूर्व हुआ था। इस महासंघ में काशी गोमती संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आयकर विभाग, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल है। महासंघ के मानद अध्यक्ष पूर्व कुलपति, काशी विद्यापीठ, के प्रो.एस. एस. कुशवाहा है तथा समन्वय सचिव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री अमृतांशु हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज सारनाथ के कुलपति पद्मश्री प्रो. जी.एन. सैमतेन ने की एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री पारसनाथ मौर्य थे एवं मुख्य वक्ता अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी कल्याण महासंघ के महासचिव श्री जी. करुणानिधि थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में भूतपूर्व सांसद श्री कैलाशनाथ सिंह यादव, उ.प्र. शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य डा. एम.पी. अहिरवार, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के भूतपूर्व चैयरमैन डा. बाबूराम निषाद, प्रसिद्ध आलोचक एवं बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष - हिन्दी - प्रो. चौथीराम यादव उपस्थित थे।

कार्यक्रम का आरम्भ भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर हुआ। तत्पश्चात अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष, श्री रवीन्द्र राम ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।संयोजक सचिव श्री अमृतांशु ने आधार वक्तव्य प्रस्तुत किया। इन्होंने राज्य स्तर पर पिछले चार वर्षों में महासंघ द्वारा किए गए कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि श्री जी. करुणानिधि ने सभागार को संबोधित करते हुए भिन्न भिन्न सरकारी विभागों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए पिछड़ों की स्थिति सामने रखी। उन्होंने चिंता जाहिर किया कि मीडिया, प्रशासन, न्यायालय में ओबीसी की उपस्थिति नगण्य है। जाति आधारित जनगणना पर उन्होंने अपनी राय रखते हुए इसे समय की मांग बताया। उन्होंने उपस्थित सभी सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पारसनाथ मौर्य ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनकी अपनी जमीन की याद दिलाते हुए कहा कि पिछड़ों, वंचितों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सदैव ध्यान में रखें।

प्रो. चौथीराम यादव ने सफल अभ्यर्थियों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि भारतीय समाज व्यवस्था की उन तकलीफदेह परम्पराओं और परिपाटियों से मुक्त होना ही हम सबका अभीष्ट है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री प्रो.जी.एन. सैमतेन ने अपने अध्यक्षीय भाषणों में कहा कि प्रशासनिक सेवाएं निर्णायक एवं चुनौतीपूर्ण है। हम सभी का यह दायित्व है कि हम बेहतर समाज की स्थापना के लिए कार्य करते रहें। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी।

डा. एम.पी. अहिरवार, डा. बाबू राम निषाद, श्री कैलाशनाथ सिंह यादव ने भी सभी अभ्यर्थियों को आशीर्वचन दिए।

समारोह का गरिमापूर्ण संचालन अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक श्री अशोक आनंद ने किया एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के श्री कुन्दन लाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रस्तुति - अशोक कुमार

महत्वपूर्ण सूचना

ओबीसी प्रतिभा सम्मान समारोह

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के वैसे छात्र एवं छात्राओं जिन्होंने वर्ष 2010 में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक या परास्नातक स्तर की परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, को WSO (Welfare Society of OBC) की ओर से सम्मानित किये जाने की योजना है।

छात्र/छात्राओं से निवेदन है कि वे अपने मार्कशीट की छायाप्रति के पीछे नाम, पता एवं मोबाइल नं. लिखकर निम्न पते पर प्रेषित करें -

इंजीनियर आर.के. वर्मा, महासचिव - WSO
645 ए/421 ए, जानकी विहार, जानकीपुरम, लखनऊ
मो.: 9161896287,
ई-मेल : energyauditor.rkv@gmail.com

इस कार्यक्रम के **मुख्य अतिथि हैं** - श्रीमती सीता सिंह (धर्मपत्नी)
ओबीसी मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री
स्व. श्री वी.पी.सिंह)

स्थान : उत्सव भवन, बाबूगंज, डालीगंज, लखनऊ

तिथि : 24-10-2010

समय : प्रातः 11 बजे

हम सभी से अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह करते हैं।

निवेदक : इंजी. आर.के . वर्मा,
महासचिव, WSO
लखनऊ

Commissioner of Income Tax (Appeals)

सत्यमेव जयते

AAYKAR BHAVAN
Government of India
Maqbool Alam Road
Varanasi-221002
Tel. : (0542) 2502592
Telefax : (0542) 2509866

22nd July, 2010

Dear Shri Amritanshu,

I could not attend this important occasion due to sudden demise of my father-in-law. The 'shradha karma' is proposed to be performed on 24.07.2010. I personally feel that I have missed the opportunity to interact with our future administrators. However, I wish them all success for their future responsibilities and extend my heartiest congratulations to them for joining civil services fraternity. At the same time, I would like to appreciate the steps taken by "The State Federation of Backward Classes Employees Welfare Association to felicitate the successful candidates of Civil Services Examination, 2009.

(Santosh Kumar)
Commissioner of Income Tax (Appeals),
Varanasi

प्रवीन कुमार बंसल
महाप्रबंधक
Pravin K. Bansal
General Manager

90 वर्षों से कर रहे सपने साकार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक : 24.07.2010

प्रिय श्री अमृतांशु,

सर्वप्रथम मैं आपको भारतीय सिविल सेवा में नव चयनित ओ बी सी अधिकारियों के स्वागत समारोह दिनांक 24 जुलाई 2010 में मुझे आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. इस समारोह में मैं व्यक्तिगत रूप से शरीक होना चाहता था किंतु शारीरिक अस्वस्थता तथा कार्यालयीन व्यस्तताओं के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है. तथापि मैं आपको एवं सभी कार्यक्रम संयोजकों को इस कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामना देता हूं तथा आशा करता हूं कि उक्त समारोह अपने उद्देश्य में सफल होगा.

निस्संदेह **"स्टेट फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस(ओबीसी) इम्प्लॉईस वेलफेयर एसोसियेशन , उत्तर प्रदेश"** द्वारा उठाया गया यह एक अनुकरणीय कदम है जो नव चयनित युवा अधिकारियों को अभिप्रेरित करेगा जिससे वे अपने नये और महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन उत्साहपूर्वक कर सकेंगे.

युवा पीढ़ी देश का भविष्य है. अतः मैं इस पत्र के माध्यम से इन नये चयनित युवा अधिकारियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि भारतीय सिविल सेवा देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा है जहां देश और समाज दोनों के कल्याण और विकास के लिये पर्याप्त अवसर मिलते हैं. मुझे आशा है कि ये युवा अधिकारी बिना किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे एवं देश को नयी ऊंचाईयों तक पहुंचायेंगे.

पुनश्चः समारोह तथा युवा अधिकारियों - दोनों की सफलता की शुभकामनाओं के साथ,

आपका

(प्रवीन कुमार बंसल)

श्री अमृतांशु,
संयोजक सचिव,
एसएफओबीसीईडब्लूए,
उत्तर प्रदेश.

Union Bank of India

90 Years of fulfilling Dreams

क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय
शारदा टावर्स द्वितीय तल कपूरथला कॉम्प्लैक्स
अलीगंज लखनऊ-226 024
फो +91 522 2327039 2330880
फै +91 522 2335152
ई bansal@unionbankofindia.com

Field General Manager's Office
Sharda Tower 2nd floor Kapporthal Complex
Aliganj, Lucknow-226 024
T +91 522 2327039 2330880
F + 91 522 2335152
E bansal@unionbankofindia.com

.ıo सुरन्द्र सिंह कुशवाहा (Prof. S.S. Kushwaha)

- पूर्व प्रोफेसर भौतिकी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०)।
  (Former Physics- Professor, B.H.U., Varanasi- (U.P.)
- पूर्व कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, झारखण्ड।
  (Former Vice – Chancellor, Ranchi University, Jharkhand).
- पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ०प्र०)।
  (Former Vice – Chancellor, Mahatama Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi).
- Honoured by Hiroshima Museum and S.G. International University (Japan).
- पूर्व सदस्य, कार्यकारिणी परिषद, गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- पूर्व अध्यक्ष, उच्च शिक्षा समिति (महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड सलाहकार समिति)।
- पूर्व अध्यक्ष, उच्च शिक्षा सलाहकार बोर्ड (झारखण्ड राज्य सरकार)।

Ref: ______________ Date: 11-7-2010

Dear Mr. Amritanshu,

I am very much delighted to learn that "The State Federation of Backward Classes Employees Welfare Association" is going to felicitate youths who have been selected in the Civil Services Examination-2009.

Being one of the members of the federation I should have ensured my presence during this rare of the rarest event, but due to another prefixed programme elsewhere during this period, I am missing this historic mo ment. I am very much pained.

My dear youths, you have got the most challenging opportunity to serve the nation. Always remain sincere, truthful, honest, disciplined and feel answerable to the society and do justice without delay.

My Blessings

Mr. Amritanshu
Secretary of the federation.

Yours Affectionately
[signature]
Prof. S.S. Kushwaha

जे. के. नियोग
उप महाप्रबंधक
J. K. Neog
Dy. General Manager

90 वर्षों से कर रहे सपने साकार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Date : 22.07.2010

Dear Amritanshu,

I am delighted to know that the **State Federation of Backward Classes (OBC) Employees Welfare Associations,UP** is conducting a Felicitation Function for the successful candidates of Civil Services Examination-09 on 24th July 10.

Due to my official visit to Banglore I am not in position to attend the function.

I wish to congratulate all the successful candidates for their cherished future who are participating in the function and also to those who could not attend.

Please accept my heartiest blessings to the success of this function.

With best wishes,

[signature]
J.K.Neog
Dy. General Manager

To,
Shri Amritanshu
Convener Secretary
State Federation of Backward Classes
(OBC) Employees Welfare Associations,UP
C/o Union Bank of India
Regional Office
Chandra Chamber, Sikraul
Varanasi

Union Bank of India

90 Years of fulfilling Dreams

क्षेत्रीय कार्यालय,
एस-2/638 ए, चंद्रा चैम्बर
क्लब रोड, सिकरौल, वाराणसी

Regional Office,
S-2/638A, Chandra Chamber
Club Road, Sikraul, Varanasi
Tel. : 0542-2280455 (C) 2280994-97, Fax : 2280995
e-mail : dgmvaranasi@unionbankofindia.com

टी.पी.भटनागर
सहायक महाप्रबंधक

90 वर्ष

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक 22.07.2010

प्रिय श्री अमृतांशु,

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि स्टेट फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस (ओबीसी) इम्प्लाईज़ वेलफेयर एसोसिएशन - उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा -2009 में चयनित ओबीसी अधिकारियों का स्वागत समारोह का आयोजन दिनांक 24 जुलाई 2010 को किया जा रहा है. उभरती युवा पीढ़ी के मनोबल को बढ़ाने व उन्हें अभिप्रेरित करने हेतु आप द्वारा उठाया गया यह सार्थक कदम है.

भूमंडलीकरण के दौर में नित नई योजनाएं,परियोजनाएं तथा कार्यकलाप सम्मुख आएंगे जिन्हें पूरा करने के लिए संयम,धैर्य,सौहार्द तथा विवेक की आवश्यकता पड़ेगी. मुझे विश्वास है कि देश की सेवा तथा समाज के कल्याण में नव चयनित युवा वर्ग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन लगन व निष्ठापूर्वक करेगा तथा विकास कार्यों में तहेदिल से योगदान करेगा

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा -2009 में चयनित ओबीसी अधिकारियों को बधाई तथा आपको इस समारोह के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं

आपका शुभाकांक्षी,

22.07.10

प्रति,
श्री अमृतांशु
महासचिव [illegible]
स्टेट फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस (ओबीसी)
इम्प्लाईज़ वेलफेयर एसोसिएशन यूपी
द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय चन्द्रा चैम्बर,
सिकरौल वाराणसी

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय,
[illegible]
[illegible]

Union Bank of India

90 Years of Fulfilling Dreams

क्षेत्रीय कार्यालय,
एस-2/638 ए, चंद्रा चैम्बर
क्लब रोड, सिकरौल, वाराणसी
Regional Office,
S-2/638A, Chandra Chamber
Club Road, Sikraul, Varanasi
Tel.: 2280994-97, Fax : 2280995
e-mail : dgmvaranasi@unionbankofindia.com

Justice Dharmapal Sinha
Chairman

State Commission for Backward Classes
12/A, Jawahar Lal Nehru Marg
Patna-800001 **(Bihar)**

Residence
Saralalaya
Road No-21 Rajiv Nagar,
Patna - 800024 (Bihar)

Ph: (O) 0612-2545710 (R) 2550444

Date : 22.07.2010

To,

Shri Amritanshu
Secretary
State Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association,UP

Sir,

I am extremely glad to learn that your Association has tamen a decision to felicitate about a dozen and a half persons, who belong to Backward Classes and have been selected for appointment in All India Services (I.A.S., I.P.S. etc.)

Indeed it would have been a great pleasure for me to participate in the felicitation function organized on the 24^{th} of July 2010 at Varanasi. But due to some other preoccupation I shall not be able to participate in the same and I regret my inability to attend the same despite your sincere request.

I wish great success for the function, and I extend my hearty good wishes to all those for whom the function is being organized.

Wishing all the best,

Yours sincerely

Sd/-

(Dharmapal Sinha)

(letter received from e-mail)

ओबीसी आरक्षण और क्रीमीलेयर का सिद्धान्त

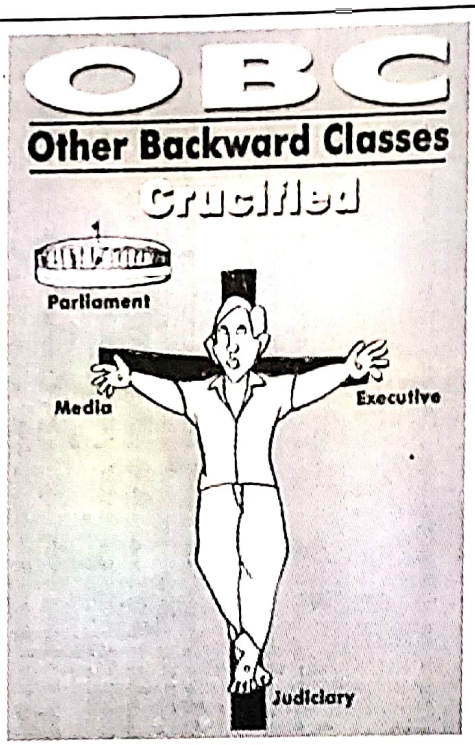

क्रीमीलेयर सिद्धान्त : किसानों एवं वेतनभोगियों पर क्रीमी लेयर का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

वी.पी. सिंह सरकार ने 13 अगस्त, 1990 को मण्डल कमीशन लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्राप्त हुआ। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आरक्षण विरोधी लोगों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दी। इस तरह इन्दिरा साहनी बनाम भारत सरकार नामक मुकदमें में नौ न्यायधीशों की पीठ ने दि. 16 नवम्बर, 1992 को ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें पहली बार क्रीमीलेयर (मलाईदार परत) के सिद्धान्त को मान्यता दी गई।

सन् 1992 के उक्त फैसले में क्रीमीलेयर लाया गया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्योंकि उसने संविधान में आर्थिक आधार न होने के बावजूद भी क्रीमीलेयर लगाया, ऐसा सभी लेखक, वक्तागण, विचारक, एडवोकेट आदि बोलते हैं। लेकिन ऐसा आरोप लगाने से पूर्व क्या हमने कभी अध्ययन किया कि इस बारे में संविधान सभा में क्या बहस हुई थी, तथा संविधान में कौन से शब्द प्रयोग किये गये हैं? इसके बारे में आजतक न तो बताया गया है और न लिखा गया है। इसे जानने के लिए हमें संविधान सभा की कार्यवाही को देखना पड़ेगा।

यह सर्वविदित है कि 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारम्भ किया था। 13 दिसम्बर, 1946 को प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों के संबंध में लिखित रुप से एक आठ सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के क्रम सं. 6 में देश को वचन देते हुये उन्होंने उल्लेख किया :

"6. Adequate safeguard shall be provided for minorities, backward tribal areas, depressed classes and backward classes." में देश के चार वर्गों के लिए संरक्षण देने का वचन दिया गया था। नेहरु ने इसमें से तीन वर्गों (SCs, STs and minorities) के लिए अपना दिया वचन पूरा किया, लेकिन ओबीसी के लिए दिया वचन नहीं निभाया। ओबीसी की आबादी 52% होने के बावजूद उनको उपेक्षित कर दिया गया।

पं. नेहरु ने आरक्षण देने के बजाय अनुच्छेद 340 में ओबीसी की पहचान करने और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग के गठन मात्र का उपबन्ध किया। अनुच्छेद 340 पर दि. 30 अगस्त, 1949 को संविधान सभा में बहस हुई थी। इसमें डॉ. अम्बेडकर पं. नेहरु, के.एम. मुन्शी आदि 19 दिग्गज हस्तियों ने भाग लिया था। (CAD Vol. 5 to 9)

इस बहस के दौरान बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था-

"I am asked to define what are backward classes? well, I think the word backward class as for as the country is concern is almost elementary. Everybody in the province knows who are the backward classes and I think it is better to left the matter to the commission which is to be appointed which will investigate the condition of the state of the society and to ascertain which are to be regerded as backword classes in the country." (बहुजनों का बहुजन भारत' दि. 27-31-12-08 पृ. 183)

संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य गुप्तनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा था- ''बैकवर्ड क्लासेज'' का मतलब है ''बैकवर्ड कास्टस'' अर्थात् पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग हैं। यह व्याख्या संविधान में आ जाए इसके लिए हमने बाबासाहेब से आग्रह किया था। बाबासाहेब और कन्हैयालाल मुंशी, जो प्रारुप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे, ने इसे मान भी लिया था। फिर भी यह व्याख्या संविधान में क्यों नहीं आ पाई? इनको किसने रोका?

संविधान सभा में कुल 296 सदस्य थे जिसमें से 212 सदस्य कांग्रेस के थे यानी, कांग्रेस का बहुमत था। महात्मा गांधी, पं. नेहरु, वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद और मौलाना आजाद ये कांग्रेस हाई कमान के पाँच बड़े नेता थे। इन लोगों ने तय किया कि ओबीसी को सिवाय एक आयोग के और कुछ नहीं देना है। बाबा साहेब से कहा गया कि आप सिर्फ एससी और एसटी की बात करो, बाकी किसी की बात मत करो। आप ओबीसी के नेता नहीं हैं, आप ओबीसी के बारे में मत बोलो (वही पेज 184-185)

23 अगस्त, 1949 को संविधान सभा में ठक्कर बप्पा, जो एक कांग्रेसी सदस्य थे, ने बाबा साहेब से पूछा- ''जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में कमीशन बनाने की बात की गई है, और आपने इसे परिभाषित नहीं किया है तो कैसे तय होगा कि ओबीसी कौन है उन्हें कैसे और कितना मिलेगा?'' उन्होंने पूछा- "May I ask whether it will not take several years before that is done" इस पर बाबा साहेब ने जबाव दिया-

"Yes, but in the meantime there is no provision on any provincial govt. to make a provision for what are called backward classes, they are left quite free by Article to.' [CAD Vol 9, p 630 Dt. 23-8-48]

बाबा साहेब को यह पता था कि 50 वर्षों बाद भी ऐसा हो नहीं पायेगा। वे परेशान भी थे लेकिन उनके हाथ बँधे हुये थे।

पं. हृदयनाथ कुजरु ने कहा- ''बैकवर्ड कौन है? यह तय करने का काम आप कोर्ट पर मत छोड़िए। हम इसकी व्याख्या यहीं पर देंगे। एच.वी. कामत ने कहा- ''हाँ डॉ. अम्बेडकर यह काम हमें करना होगा अन्यथा यह कभी नहीं होगा। धर्म प्रकाश जी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि यह परिभाषा हो पायेगी। होगी तो आज ही होगी, नहीं तो कभी नहीं होने वाली है।''

बिहार के चन्द्रिका राम ने दुखभरी आवाज में कहा कि ''आज यहाँ ओबीसी लोगों के प्रतिनिधि नहीं है इसलिए यदि उन्हें आप न्याय नहीं देंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।'' (बहुजनों का बहुजन भारत 27-31-12-08 पेज 185-86)

इतना कुछ बहस के बाद भी कांग्रेस हाईकमान टस से मस नहीं हुआ। बातें जैसी की तैसी बनी रहीं। यहाँ तक कि अनुच्छेद 340 (1) में "President may appoint" शब्दों के लिए चन्द्रिका राम एक संशोधन लाए कि हम इसे बन्धनकारी बनाकर "President shall appoint" करेंगे। पं. ठाकुर दास भार्गव ने इसका समर्थन किया लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस संशोधन को परास्त कर दिया। मतदान हुआ और May की जगह Shall नहीं हो सका। यदि बहुमत से कांग्रेस ने यह संशोधन न रोका होता तो ओबीसी का भविष्य बदल जाता।

इसके अतिरिक्त गुप्तनाथ सिंह ने संशोधन रखा कि ''आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उस पर अमल होगा''। इसपर भी बहस हुई और वोटिंग हुई। कांग्रेस हाई कमान ने इस संशोधन को भी पास होने नहीं दिया। इसी कारण काका कालेलकर रिपोर्ट को नकारा गया तथा तत्कालीन सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को पांच वर्ष तक लटकाए रखा।

सन् 1951 में पहला संविधान संशोधन आरक्षण के बारे में किया गया। अनु. 15 में उपधारा (4) जोड़ी गई थी। उस समय संविधान सभा के वे ही सदस्य मौजूद थे तथा डॉ. अम्बेडकर कानूनमंत्री थे। बहस के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से कहा था-

"If you make a reservation infavour of what are called backward classes which are notting else, but a collection of certain castes". (W & S Vol 15, p. 333-34)

यदि यही बात बाबा साहेब संविधान में डेढ़-दो महीने पहले लिख सकते तो ओबीसी के 50 साल बच जाते तथा आज यह क्रीमीलेयर नहीं आता। शासक लोगों द्वारा बाबा साहेब को ऐसा करने से रोकना यानी करोड़ों ओबीसी लोगों को अधिकार वंचित करना था। बाबा साहेब को किसने रोका इसकी व्याख्या होनी चाहिए।

इस संबंध में एक अन्य तथ्य भी जानना जरूरी है। बाबा साहेब 30 अगस्त 1947 को प्रारुप समिति के अध्यक्ष चुने गये। इसके तीन दिन पूर्व 27 अगस्त, 1947 को ही ओबीसी लोगों के साथ साजिश रच दी गई थी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक ''अल्पसंख्यक और मूलभूत

अधिकार समिति'' गठित की गई थी। इसमें कुल 50 सदस्य थे। अधिकतम सदस्य कांग्रेसी थे। इस समिति ने 27 अगस्त, 1947 को निर्णय ले लिया कि ओबीसी को एक आयोग के सिवाय कुछ नहीं देना है। इस प्रकार पं. नेहरु अपने 13 दिसम्बर 1946 के संकल्प से मुकर गये। आयोग बनाने के निर्णय को लिखित रुप से प्रारुप समिति को संविधान में डालने के लिए दे दिया गया। इस तरह विवश होकर बाबा साहेब को इसे प्रारूप संविधान में लिखना पड़ा।

बाबासाहेब ने कानूनमंत्री पद से इस्तीफा देते समय अपने स्पष्टीकरण दि. 10 अक्टूबर, 1951 में कहा था-

"I am very sorry that the Constitution did not embody any Safeguard for the backward classes."

"More than a year has lapsed since we possed the Constituion but the govt. has not even thought of appointing the Commission." (W&S Vol. 14 (II) P. 1317)

सन् 1952 में होने वाले प्रथम आम चुनाव में बाबा साहेब ने अपनी पार्टी के मेनीफेस्टो (घोषणा-पत्र) में यह वादा किया कि हमारी सरकार बनने पर हम ओबीसी के लिए आयोग बनायेंगे। यह देखकर कांग्रेस ने विवश होकर अपने घोषणा-पत्र में डाला कि सत्ता में आने पर हम भी आयोग बनायेंगे। इस तरह सन् 1952 में कांग्रेस सत्ता में आई तथा 29 जनवरी, 1953 को विवशता में काका कालेलकर आयोग गठित किया। काका कालेलकर ने 31 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। परन्तु यह रिपोर्ट सदन में भी पेश नहीं हो पाई। क्योंकि कालेलकर ने अपनी ही रिपोर्ट के खिलाफ राष्ट्रपति को एक लिखित बयान प्रस्तुत कर दिया था। (बहुजनों का बहुजन भारत दि. 28-31-12-08 पेज 183)

इन्दिरा साहनी मामले में क्रीमीलेयर का मुद्दा मधुलिमये, जो महाराष्ट्र के पूना का ब्राह्मण है, ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाया था। इस मुकदमें में न वह पक्षकार था और न वकील। लेकिन उसने एक शपथ-पत्र देकर पक्षकार बनने की इच्छा जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात मान ली। वह पक्षकार बनकर सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि क्रीमीलेयर से जैसे-जैसे आमदनी बढ़ेगी आरक्षण से लोग बाहर होते जायेंगे। इस तरह क्रीमीलेयर का सिद्धान्त सामने आया। हालांकि न तो मंडल कमीशन में और न ही संविधान में ओबीसी का आकलन आर्थिक आधार पर किया गया है। क्योंकि आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। यह समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समान अक्सर एवं बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए है।

इन्दिरा साहनी मुकदमें में 'क्लास' शब्द को पश्चिमी देशों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक आधार पर परिभाषित किया गया जब कि इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाना चाहिए था। यानी संविधान की उद्देशिका में वर्णित संकल्पना के आधार पर तथा संविधान सभा के सदस्य, प्रारुप समिति के अध्यक्ष तथा भारत के कानूनमंत्री की हैसियत से डॉ. अम्बेडकर की मंशा के अनुरूप यानी "Collection of Castes" के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए था।

उक्त मुकदमें के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने अपने 8 सितम्बर, 1993 के आदेशों द्वारा क्रीमीलेयर की सीमा 1 लाख की वार्षिक आमदनी निर्धारित की। इस आदेश में यह भी कहा गया कि हर तीन साल बाद महँगाई को देखते हुए इस सीमा में बढ़ोत्तरी की जाएगी। सन् 2008 तक, 15 साल में 5 बार यह वृद्धि होनी चाहिए थी लेकिन केवल दो बार ही बढोत्तरी हुई है। सन् 2003 में 2.5 लाख तथा सन् 2008 में 4.5 लाख। वर्तमान की 4.5 लाख की सीमा के कारण 37500 प्रतिमाह वेतन पाने वाले ही क्रीमीलेयर के अनुसार आरक्षण का लाभ ले सकेंगे तथा इससे अधिक वेतन पाने वाले आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारी ही अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 का लाभ ले सकेंगे। IIT और IIM की सालाना फीस 1.5 लाख से 10 लाख तक है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा पर अपनी कुल आमदनी का 10% खर्च करे तो 1.5 लाख की फीस भरने के लिए उसकी वार्षिक आमदनी 15 लाख तथा 10 लाख फीस भरने के लिए वार्षिक आमदनी 1 करोड़ होनी चाहिए। इस तरह क्रीमीलेयर वाले (4.5 लाख से ऊपर) भी अपने बच्चे को IIT और IIM में नहीं पढ़ा सकते तो नान-क्रीमीलेयर (4.5 लाख से कम) वाले कैसे पढ़ायेंगे?

क्रीमीलेयर से ओबीसी वर्ग में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग रुपी दो खाइयों का निर्माण हो जाता है। समाज को जागरुक करना, आंदोलन चलाना और संगठन बनाना, ये काम कौन करेगा? जिसके पास मनी, माइन्ड और टाइम हो। ओबीसी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग को कहा गया कि आप लोग क्रीमीलेयर हैं। आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वह सोचेगा जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों आन्दोलन आदि के पचड़े में पड़ू? यानी जो लड़ाई लड़ सकते हैं उन्हें अलग कर दिया गया। जो आरक्षण के पात्र हैं उन्हें इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। जब ओबीसी की जगह खाली रह जाएगी तो उसे सामान्य लोगों से भरा जायेगा। इस साजिश को हमें समझना होगा।

अन्त में, हमें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला क्रीमीलेयर के बारे में सन् 1992 में इन्दिरा साहनी केस में दिया है उसे बदलने के लिए हमें यह नहीं कहना है कि क्रीमीलेयर को हटाओ बल्कि यह कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) और 340 (1) में से 'Classes' शब्द की जगह 'Castes' शब्द लाकर संशोधन करो। स्पष्टतः इसके लिए हमें बृहद जनांदोलन की आवश्यकता होगी।

सूबेदार राम IRS
आयकर अपर आयुक्त (से.नि.)

मार्टिन लूथर किंग

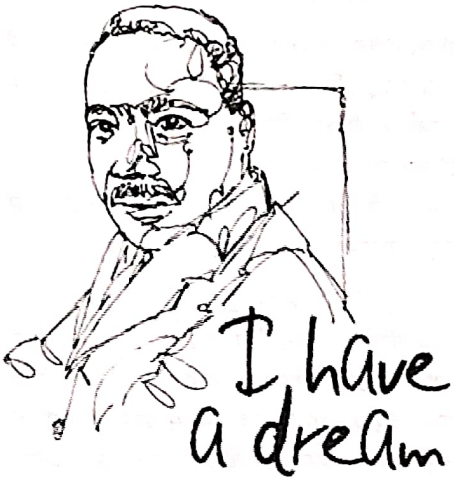

रंगभेद व नस्लभेद के खिलाफ अश्वेत नीग्रो लोगों के संघर्ष को अहिंसा के सिद्धाँत का अनुपालन करते हुए सफलता दिलाने वाले अश्वेत जननायक थे मार्टिन लूथर किंग जिसने पूरी अमेरिकी समाज व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी। जिसने विश्वस्तर पर हर मनुष्य को बराबर दर्जा दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। जिसने कालों और गोरों के बीच की खाई को खत्म करने में अपना जीवन होम कर दिया। एक ऐसा शख्स जिसे मात्र 35 वर्ष की आयु में शान्ति के नोबल प्राइज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा, जार्जिया, यूनाईटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में हुआ। मार्टिन लूथर के पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर था, व आपकी माता का नाम एलवर्ट विलियम किंग था।

मार्टिन लूथर जूनियर की शिक्षा एटलैन्टा के बुकर टी वाशिंगटन हाई स्कूल में हुई। मोरे हाऊस कालेज से 1948 में आपने बैचलर आफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। 1951 में क्रोजर थियोलाजिकल से बैचलर आफ डिवाईनिटी की उपाधि प्राप्त की। बोस्टन यूनिवर्सिटी से 5 जून 1955 में सिस्टमिक थीयोलॉजी में पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त की।

मार्टिन लूथर जूनियर दृण निण्चयी एवं तिक्ष्ण बुद्धि के थे, प्रारम्भ से ही आप सामाजिक कार्यों व समाज सेवा में विशेष रूचि लेते थे। एक बार वह अपने मित्र थुरामैन के अनुरोध पर मिशनरी कार्य हेतु गये हुये थे, उनकी मुलाकात भारत के महात्मा गांधी से हुई। वे उनके अहिंसा के सिद्धान्त से बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं दिनों अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राईट्स के कार्यकर्त्ता वेयार्ड रस्टिन ने भी मार्टिन लूथर को अहिंसा के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी।

अमेरिकी व्यवस्था में जिम क्रो कानून के अन्तर्गत अश्वेतों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर रखा गया था। मार्च 1955 में मान्टगोमरी में 15 वर्षीय एक अश्वेत लड़की रोजा पार्क ने बस में श्वेत लोगों के लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया, 1 दिसम्बर 1955 को रोजा पार्क को इस अपराध स्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया। मार्टिन लूथर ने अपने मित्र निक्सन के सहयोग से मान्टगोगरी बस बायकाट का आयोजन किया, जो कि पहला अहिंसात्मक नीग्रो आन्दोलन था। यह आन्दोलन 385 दिनों तक चला। आन्दोलन के परिणामस्वरूप 21 दिसम्बर 1956 में सुप्रीम कोर्ट आफ यूनाइटेड स्टेटस ने इस नस्लभेदी नीति को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। रंगभेद के खिलाफ मार्टिन लूथर के आन्दोलन को इसे पहली बड़ी सफलता में देखा जा सकता है।

जिम क्रो कानून के कारण अश्वेतों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था जैसे वोटिंग का अधिकार, लेबर राईट्स समानता आदि। मार्टिन लूथर किंग व अनेक साथियों ने सिविल राईट्स के लिए सिविल राईट्स मूवमेन्ट के अन्तर्गत विरोध प्रदर्शन किए एवं अश्वेतों को उनके अधिकारों के प्रति एकजूट किया। मार्च के दौरान ढाई लाख लोगों के समक्ष मार्टिन लूथर ने ऐतिहासिक भाषण दिया 'आई हैव ए ड्रीम'।

''........आज भी निग्रो रंगभेद और असमानता के दलदल में जी रहे हैं। यद्यपि कि हम समृद्धि के महासागर के बीच हैं परन्तु निग्रो एक निर्जन और दरिद्र प्रायद्वीप की तरह है।

''........आज भी अमेरिकी समाज में वह अकेला और अपनी ही जमीन पर निर्वासन का जीवन जी रहा है। इसलिए हम यहां एकत्रित हुए है और प्रदर्शन कर रहे हैं।

''........यह इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा यदि इस आन्दोलन के महत्त्व को न समझा गया। अमेरिका में शांति और आराम तब तक नहीं होंगे जबतक कि नीग्रो को उनका नागरिका अधिकार नहीं मिला जाता।''

''........जब तक न्याय का उजाला हमारे सामने नहीं आ जाता हम इस देश के सामाजिक ढ़ाचो की बुनियाद को हिलाने का प्रयास करते रहेंगे।

वह (मार्टिन लूथर) कहता है कि ''हमारे पास एक सपना है, जब जोर्जिया के लाल पहाड़ों पर रहने वाले गुलाम, गुलाम के बेटों और गुलामों के मालिक एक साथ बैठकर भाईचारा निभाएगें।

मार्टिन लूथर ने कहा कि 'न्याय पानी की तरह ऊपर से नीचे बहता है, और सदाचार एक शक्तिशाली धारा की तरह होते हैं।' उन्होंने कहा 'मेरा सपना है कि मेरे चारों बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में जिए जहाँ उनकी पहचान उनकी चमड़े के रंग से न हो बल्कि उनकी योग्यता से हो।'

मार्टिन लूथर के अनेकानेक प्रयासों से 1964 में सिविल राईट एक्ट व 1965 वोटिंग राईट एक्ट बना। जिनके माध्यम से अश्वेतों को उनके नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे वे लम्बे समय से वंचित थे।

मार्टिन लूथर, एवरनाथी और अन्य सिविल राईट्स के कार्यकर्त्ताओं ने साऊदर्न क्रिस्चियन लीडरसिप चर्च की स्थापना अश्वेत चर्चों को समृद्ध करने हेतु की और जीवन पर्यन्त उसके सदस्य बने रहे।

मार्टिन लूथर की लोकप्रियता ने उनके अनेक विरोधी पैदा कर दिए थे। 20 सितम्बर 1958 को जब वह अपनी पुस्तक स्ट्राईड टूवड्स फ्रीडम की प्रतियों का विमोचन वलुमेस्टिन के एक डिपार्टमेन्टल स्टोर से कर रहे थे, एक महिला जोला करी ने लेटर-ओपनर से मार्टिन लूथर पर प्राण घातक हमला किया। सौभाग्य से वे बाल बाल बच गए, उन्हें समाज के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था।

अमेरिकी समाज में नस्लीय भेदभाव चरम पर था, जिसके विरोध में लूथर ने नवम्बर, 1961 में अलबानी मूवमेन्ट शुरू किया। इस आन्दोलन के कारण जुलाई 1961 में उन्हें 45 दिन जेल या 178 पौण्ड के जुर्माने की सजा सुनाई गयी। मार्टिन लूथर ने जुर्माना जमा कराने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया। उनके साथियों को उनका जेल जाना बहुत कष्टकारी लगा, साथियों ने धन एकत्रित कर जुर्माना भर कर उन्हें जेल से मुक्त कराया।

अमेरिकी सरकार ने अश्वेतों के साथ सेल्स जाब एवं अन्य रोजगारों में बहुत भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव के विरोध में लूथर ने वर्मिंघम कैम्पेन की जिस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे निर्ममतापूर्वक खतरनाक कुत्ते और पानी की तेज धार छोड़ी। अन्ततः मार्टिन लूथर व उनके साथियों को सफलता मिली। सार्वजनिक स्थलों पर अश्वेतों के अधिकार और अधिक विस्तारित किए गए।

मार्टिन लूथर ने 7 मार्च 1965 को सेलना से मान्टगोगरी तक मार्च किया, जिसमें पुलिस की बर्बता का प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। इस दौरान हुई हिंसा में काफी रक्तपात हुआ और यह रविवार अमेरिकी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से मशहूर हुआ। इस आन्दोलन का अगला प्रयास 1 मार्च को हुआ, जिसमें मार्टिन लूथर ने ऐतिहासिक भाषण 'हाऊ लॉग नाट लान्ग' दिया। इस भाषण में मार्टिन लूथर ने निग्रो की स्वतंत्रता और भेदभाव से मुक्ति के लिए आगे के संघर्षों का एलान किया।

मार्टिन लूथर ने 1966 में सिकागो फ्रीडम मूवमेन्ट का नेतृत्व किया, जिस दौरान उन पर ईटों से हमला किया गया। परन्तु वह विचलित नहीं हुए और मार्च का नेतृत्व करते रहे।

4 अप्रैल 1967 को न्यूयार्क में अपने भाषण 'वियान्ड वियतनाम' में मार्टिन लूथर ने वियतनाम वार का विरोध किया और इसे अमेरिकी उपनिवेशवाद बताया।

मेमफिश टेनेसी में अश्वेत मजदूरों व श्वेत मजदूरों की मजदूरी में भेदभाव किया जाता था। वहाँ मौसम खराब होने पर बन्दी होने पर अश्वेत मजदूरों को मात्र 2 घण्टे का वेतन जबकि श्वेत मजदूरों को पूरे दिन का वेतन दिया जाता था। इस भेदभाव के विरोध में मार्टिन लूथर ने 29 मार्च 1968 में प्रदर्शन किया। इस महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन के महज छः दिनों बाद 4 अप्रैल 1968 को मेमफिश के एक मोटेल के दूसरी मंजिल की बालकनी में मार्टिन लूथर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या से दुखी लोगों ने 100 से अधिक शहरों में प्रदर्शन किए।

आपके कार्यों को दृष्टिगत् करते हुए 1964 में सबसे कम उम्र में नोबल प्राईज दिया गया। मार्टिन लूथर ने इस प्राईज में मिलने वाली धनराशि को अश्वेतों के कल्याण हेतु सिवल राईट्स मूवमेन्ट के कोष में जमा करा दी। 1968 में जमैका द्वारा मारकस गौरवे प्राईज फार ह्यूमन राईट्स दिया गया।

जिमी कार्टर द्वारा प्रेसिडेन्शियल मेडल आफ फ्रीडम आपको दिया गया। 1963 में मार्टिन लूथर को टाईम परसन आफ ईयर का खिताब दिया गया। वर्ष 2000 में उन्हें 'सिक्स परसन इन वर्ल्ड' चुना गया। डिस्कबरी चैनल द्वारा उन्हें ग्रेटेस्ट अमेरिकन कानटेस्ट में तृतीय स्थान मिला। मार्टिन लूथर के सम्मान में यूनाईटेड स्टेट्स में 730 से ज्यादा शहरों की गलियों के नाम रखे गए हैं।

दिसम्बर 10, 1964
ओसलो, नार्वे

विश्वशांति के लिये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् मार्टिनलूथर किंग ने अपने संबोधन में कहा कि मैं ऐसे वक्त में इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहा हूँ जब अमेरिका के 22 मिलियन नीग्रो रंगभेदी अन्याय को खत्म करने के लिए दिनरात संरचनात्मक युद्ध में लिप्त हैं। मैं इस पुरस्कार को सिविल राईट्स मुवमेंट के लिए प्राप्त करता हूँ जिसने न्यायवादी व्यवस्था और स्वतंत्रता का राज्य कायम करने में अहम् भूमिका निभाई।...

.... मैं अवश्य यह पूछना चाहता हूँ कि यह पुरस्कार एक ऐसे आन्दोलन को क्यों प्रदान किया जा रहा है जो एक कठिन आन्दोलन के प्रति समर्पित रहा, जिस आन्दोलन ने शांति और भाईचारा नहीं जीता, जो कि इस पुरस्कार का अन्तर रहा है।

.... मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करता हूँ क्योंकि मुझे अमेरिका में विश्वास है और मनुष्यत्व के अस्तित्व पर यकीन है।

.... यह विश्वास हमें सहारा दे सकता है ताकि हम भविष्य में अनिश्चितता का सामना कर सकें। यह विश्वास हमारे थके हुए भावों को नई ताकत देगा ताकि हम स्वतंत्रता के नगर की ओर निरन्तर आगे बढ़सकें। यह जानते हुए कि हम एक सुन्दर सभ्यता के सृजन के संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं। एक सुन्दर सभ्यता के जन्म के लिए किए जा रहे संरचनात्मक विद्रोह (Creative Turmoil) में जी रहे हैं।

डॉ. हेमन्त कुशवाहा

जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं और इस देश को चलाते हैं।

दिलीप मंडल के साथ एक साक्षात्कार

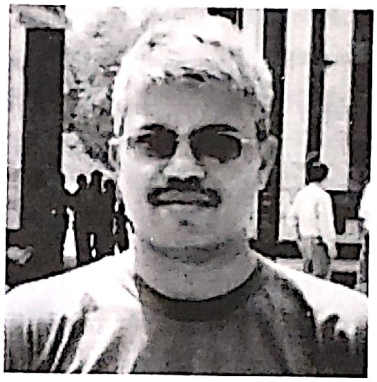

दिलीप मंडल एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। वर्तमान में वे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली के साथ जुड़े हैं। वह महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दों मर अखवारों में तथा इंटरनेट पर लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक **जाति जनगणना : संसद,समाज और मीडिया** संपादित की है। इनसाईट फाउंडेशन के लिए यहां वह जातिगत जनगणना के मुद्दे पर **गुरिंदर सिंह आजाद, अनुप विमल, नुपुर और अनुप कुमार** के साथ वातचीत कर रहे हैं।

हमें जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों हैं? जातियों के आधार पर लोगों की गिनती की इस मांग का क्या कारण है?

हमारे देश में जातिगत जनगणना वहुत से कारणों से अनिवार्य हैं। अगर हम इन कारणों को छोड़ भी दे तव भी जातिगत जनगणना की जरूरत रहेगी क्योंकि हमारे यहां भारत सरकार द्वारा संचालित वहुत सारी जातिगत नीतियां है। हमारे संविधान में कम से कम २५ जगह जाति का जिक्र हुआ है।

हमारे संविधान कर्ता इस वात को समझते थे कि जाति जैसी चीज का खात्मा संविधान महज से नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि उन्होंने जातिगत नीतियां दी ताकि वे लोग जो हजारों सालों से जाति आधारित नेतृत्व से फायदा उठाते आ रहे हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके।

जातिगत जनगणना हमारे देश में कोई नई वात नहीं है। अभी तक कुछ जातियों की गिनती होती आ रही है और कुछ की नहीं। सरकार हर जनगणना में एससी/एसटी की गिनती कराती रही है। लेकिन कुछ और भी समुदाय है और उनके लिए सरकारी नीतियां भी हैं। हमारे पास ओवीसी कमीशन है, कम्पोनेंट प्लान है, वित्तीय कमीशन है और बहुत सी नीतियां है। यहां तक ओवीसी वर्ग के लिए हॉस्टल बनाने तक की नीति है लेकिन नहीं है तो वह है ओवीसी जनसंख्या के आंकड़े।

मान लीजिए अगर सरकार की इन नीतियों को अमल में लाना है और केन्द्र सरकार को उदाहरण के तौर पर कर्नाटक और विहार को फंड देने हैं तो इस फंड का आंबटन इन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता क्योंकि किसी के भी पास ओबीसी जनसंख्या के बारे में कोई सुराग नहीं है। और इस बात का निर्णय उस राज्य की कुल जनसंख्या पर आधारित होता है। ऐसे में विहार को इसलिए फंड ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या ज्यादा है। जबकि कर्नाटक में ओबीसी की जनसंख्या बिहार से कहीं अधिक हो सकती है।

इस तरह की अंसगतियां है जिनको दुरूस्त करने की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे पास सही आंकड़े हों। इसलिए सरकारी नीतियों के सही अमल के लिए सही आंकड़ों का होना ही एक मात्र विकल्प है।

बहुत सी सरकारी संस्थाओं ने समय समय पर साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए। योजना आयोग ने भी यही कहा है और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी इसकी जरूरत जतायी है।

मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने के दौरान और ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के वक्त भी यही प्रश्न उठा था। बहुत सारे आरक्षण विरोधियों ने इसके परिपालन को यह कह कर विरोध किया कि इस मुल्क में ओबीसी जनसंख्या का वास्तविक डाटा उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अब यही लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है?

जी हां। अगर हमारे पास विशिष्ट आंकड़ें नहीं होगे तव ये सवाल तो उठेंगे ही। हमारे पास प्रमाणिक आंकड़ें हों, इसीलिए जातिगत जनगणना का होना अनिवार्य है। वड़ी ही दिलचस्प वात है कि कैसे वही लोग जो ओवीसी आरक्षण को सही आंकड़ों की कमी के चलते चुनौती दे रहे थेअब जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। ओवीसी आरक्षण को लेकर दूसरी वात यह है कि इसके अमल के दौरान भारतीय सरकार ने फैसला किया कि हर दस साल में आरक्षणका पुनर्विलोकन किया जायेगा और देखा जायेगा कि कहीं कोई जाति ऐसा तो नहीं जो कि सवल हो चुकी हैं और जिसको कि ओवीसी सूची से हटाना है और वो जातियां जो अभी सवल नहीं हुई उनको चिन्हित कर सूची में शामिल करना है। ओवीसी जनसंख्या के आंकड़ों के अभाव में हम ऐसी समीक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ओवीसी जनसंख्या में कितने ग्रेडयूएट हैं और कितनों के पास पक्का घर है।

जव तक आप इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा और इसे सह-संबंधित नहीं करेंगे, आप यह कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि कौन समुदाय सशक्त हो चुका है और यह भी कि उसे सकारात्मक अनुयोजन की जरूरत नहीं हैं? इस मुल्क की अव तक की सभी विकास नीतियों और इनको सकारात्मक अमल के लिए जातिगत जनगणना वेहद जरूरी है।

पिछली जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी और उसके बाद अनुसूचित जाति को छोड़कर ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इसे रोक दिया गया आप क्या कहते है ?

यह सच नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने जाति जनगणना बंद की थी यह एक मिथक है। हमारी मांग को अंतर्ध्वंस करने के लिए ऐसा प्रधार किया गया है। वास्तव में नेहरू सरकार ने वर्ष 1951 में जातिगत जनगणना को बंद किया था, न कि कोलोनिअल ब्रिटिश सरकार ने। 1941 की जनगणना में तब की ब्रिटिश सरकार ने पहले की तरह ही जाति की जनगणना में शामिल किया था और आंकड़ें एकत्रित किये थे लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण सरकार ने इसे

सारणी बद्ध करने के लिए पैसे देने से मना कर दिया और इस लिए ये आंकड़ें कभी बाहर नहीं आ पाए। इस देश के सभी समाज शास्त्री इस तथ्य को जानते हैं। लेकिन वो इस बात को कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे इस देश का ब्राम्हणवादी शासक वर्ग बेनकाब हो जाएंगे।

कुछ लोग क्यों जातिगतजनगणना का विरोध कर रहे हैं जब कि ये बात बिलकुल साफ है कि हम ये जनगणना भारत में उचित शासन के लिए चाहते हैं ? आखिर उन लोगों के तर्क क्या है ?

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रतिपक्षीयों के दो रूप हैं। एक वो जो उनके द्वारा व्यक्त किया जाता हैं या जो विभिन्न सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर बोला जाता है। और एक वो जो अनकहा है और उनके लिए असली खतरा है यही इन लोगों को जातिगत जनगणना का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है।

इन लोगों के असली इरादों को छोड़ कर अगर हम उनके तर्कों का अध्ययन करें तो आप पायेगें कि इनका एक भी तर्क योग्य नहीं है, वो दावा करते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, जाति जो कि एक सामाजिक पहचान है वो स्थिर और संस्थागत हो जाएगी क्योंकि अब सरकार सबसे उनकी जाति पूछेगी।

दूसरे वो दावा करते हैं कि सरकार जातिगत जनगणना बिना भी एन०एस०एस०ओ० उपकरण से और इसकी नीतियों को गढ़ के जरूरी आंकड़ें हासिल कर सकती है और इसके पीछे वे बहुत ही बेतुका तर्क देते हैं कि जातिगत जनगणना से देश टूट जाएगा। इस तरह के तर्क हैं जो कि जातिगत जनगणना के विरोध में आगे किए जा रहे हैं और ये सभी तर्क बड़े बड़े लोगों, मीडिया और इस देश के महान कहे जाने वाले समाज विज्ञानियों समेत कई बुद्धिजीवीयों द्वारा दिए जा रहें हैं।

अगर हम अपने इतिहास को देखें तो देश केवल एक बार ही बंटा थाऔर उसका कारण भी जातीय न होकर धार्मिक था। लेकिन दस साल में हर बार जनगणनाकर्ता आपके घर आते हैं और आपके धर्म के बारे में पूछते हैं। तब इन लोगों को दिक्कत नहीं होता। इस देश में गए वर्षों में भाषा के मुद्दे पर 7-8 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं। हमारी याददाश्तमें खालिस्तान आन्दोलन, तमिल कन्नडा दंगे अभी भी ताजा हैं।

वल्कि भाषा के मुद्दे पर तो यहां बहुत कुछ घटित हुआ है। लेकिन फिर भी जनगणना में भाषा का कॉलम है।

हम आपकी दलीलों से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन ये एन०एस०एस०ओ० जैसे विकल्प क्या हैं? क्या इनसे जरूरी आकंडे निकल कर आयेंगे, जैसे कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं।

इस तर्क को काफी मजबूती से खड़ा किया जा रहा है लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप कुछ हजार लोगों के नमुना आकारी आंकड़ों (जैसा एनएसएसओ द्वारा किया गया है) से इतने विभिन्ताओं वाले देश के लिए कैसे नीतियाँ वना सकते हैं, जिसकी आवादी भी सौ करोड़ से ज्यादा है। इसकेअतिरिक्त आप इस पर मोटी रकम खर्चने के लिए तो तैयार है लेकिन चालू जनसंख्या प्रणाली के तहत एक और कॉलम जोड़ने को तैयार नहीं हैं। जवकि आपके यही आंकड़े जातिगत जनगणना के जरिये हासिल करने में क्या तकलीफ है जो कि ज्यादा प्रमाणिक भी होंगे और विश्वसनिय भी इसके अतिरिक्त जातीय जनगणना की अपनी कानूनन वैधता है जबकि एनएसएसओ के जरिये एकत्रित आंकड़ों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

एक और तर्क है जो आगे खड़ा किया जा रहा है कि सभी जातियों के आंकड़ों को एकत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है। और ओबीसी की जनगणना ही काफी है इसलिए सिर्फ ओबीसी की गिनती ही महज कर लेते हैं।

जी हां कुछ उदार समाजशास्त्री इस तरह के तर्क दे रहे हैं। अव ये जाति की समस्या को सिर्फ ओबीसी और एससी/ एसटी के साथ जोड़कर देखना ऐसा है मानो बाकी सभी वर्गों में इनको जाति समस्या नजर ही नहीं आता और उनका जाति से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब पुराने हथकंड़े ही हैं। वो वहुत ही सुविधापूर्वक अपने लिए स्पेस बनाते हैं और हमसे पूछते हैं, **जाति कहां है,** हर एक चीज अपनी जगह पर है। मुझे अपनी जाति के बारे में नहीं पता है या मैं अपनी जाति के बारे में नहीं बताउंगा। ऐसे लोग यकीनी तौर पर जाति व्यवस्था के उपरी पदानुक्रम से आते हैं और अपनी जाति के फायदों से जो उनकी जाति की बदौलत ही उनको हासिल है। अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अव वे हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। जाति समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अहितकारी भी है। लेकिन जाति के उपरी पदक्रम में लोगों के लिए जाति कोई समस्या खड़ी नहीं करती जबकि आप देखेंगे कि यही वर्ग जाति आधारित वैवाहिक विज्ञापन देते है। अपने समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं। जाति हमारे निजी और पेशेवर जीवन के सभी स्तरों पर चल रही है तो फिर ये पाखंड क्यों?

आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले लोग अपने असली इरादों या फिर इन्हें असली खतरा क्या है। इस बात के साथ सामने नहीं आ रहें है। जातिगत जनगणना से ये लोग इतने क्यों डरे हुए हैं ? उनके असली खतरे क्या हैं।

उनके असली डर इस तथ्य से उपजे हैं कि अगर ऐसे जातिगत आंकड़े उत्पन्न होंगे और उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सूचकों से संबद्धजोड़ कर देखा जाएगा तब देश में प्रत्येक जाति की सही तस्वीर उभरकर सामने आ जाएगी और हम बहुत ही विलक्षण आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम हो जायेंगे। हो सकता है उदाहरण के लिए ये सच ढूंढ़ने में हम सक्षम हो जाएं कि आजादी के 60 वर्षों के बाद भी यहां एक जाति है जो कुलजनसंख्या का 2-3 प्रतिशत ही है जबकि उसका मीडिया नौकरशाही और न्यायपालिका में सीटों पर 50 प्रतिशत से अधिक कब्जा है। हमें इस तरह के आंकड़े प्राप्त होंगे। इस बात की पूरी सम्भावना है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि हम एक ऐसे समुदाय से अवगत हों जो कुलजनसंख्या का 12-15 प्रतिशत है लेकिन देश के कुल संसाधनों के 1 प्रतिशत तक भी उसकी अभी पहुंच नहीं है। ऐसे आंकड़ों से हर क्षेत्र में संसाधनों की उचित विविधता, सभी वर्गों द्वारा संसाधनों के बराबर उपयोग की मांग उत्प्रेरित हो सकता है और वह कुछ जातियों जो अभी तक सभी संसाधनों का उपभोग करते आये हैं, उनके एकाधिकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ सकते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां से उनके असली भय निकल कर आ रहे हैं।

जातिगत जनगणना देश के संसाधनों पर उनके एकाधिकार के लिए सीधे खतरा है। मुझे यकीन है कि इस देश की सत्तारूढ़ उच्च जातियाँ देश में

जातिगत जनगणना होने की अनुमति तब तलक नहीं देंगी जब तलक हम जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर एक बहुत मजबूत आंदोलन नहीं करेंगे। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जातिगत जनगणना हमें भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को नए चरण की ओर ले जाएगी और यह मंडल । और ।। की तुलना में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी।

हमारे राजनीतिक और सामाजिक टीकाकार कह रहे हैं कि हमारे जनगणनाकार जानकार लोग नहीं है। वे लोगों की जाति के अनुसार वर्गीकृत करने में सक्षम नहीं होंगे और इससे गड़बड़ियों को बढ़ावा मिलेगा।

वैसे भी ये गणनाकारों का काम नहीं है। उनके काम महज लोगों से उनकी जाति पूछना है और उस फॉर्म में दर्ज कर लेना भर हैं। वैसे भी गणनाकार अक्सर उस इलाके के शिक्षक होते हैं और वे निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जातियों के बारे में भारत के सबसे बड़े समाजशास्त्रियों से भी अधिक सूचित होते हैं।

कई लोगों द्वारा ये तर्क आगे किया जा रहा है कि अंतरजातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की जाति क्या होगी ?

पिछली जनगणना में सात लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि वे किसी धर्म को नहीं मानते। वे अलग से उल्लिखित किये गए। जो कहते हैं कि उनकी कोई जाति नहीं है तो उनके लिए इस तरह के विकल्पों को शामिल किया जा सकता है, उनको अलग से गिना जा सकता है। यहां तक कि अंतरजातीय विवाह से जन्मे बच्चों के लिए भी एक स्पष्ट कानून का प्रावधान है कि बच्चे पिता की जाति में आयेंगे। यहां अंतरजातीय सम्बधित कॉलम भी देखे जाने चाहिए।

अमेरिका हर वर्ष वहां हुए अंतर नस्ली विवाहों के आंकड़े लेकर आता है। अमेरिका में 2008-09 में कुल विवाहों का 17-8 प्रतिशत विवाह अंतर नस्ली थे। वे इस डाटे के साथ ही नहीं रूकते हैं। वे अंतरनस्ली विवाहों के और भीतर जाते हैं। उनके पास सटीक डाटे हैं कि कितने ऐसे विवाह हैं जो कालों और हिस्पैनिक और एशियाई और इस तरह के तमाम संयोजनों से हुए हैं। इससे पहले अमेरिका में काले सफेद या मिश्रित जैसे स्तंभों का प्रयोग किया जाता था अब वे एक कदम और आगे चल गए हैं। वे मिश्रित नस्ल के माता पिता की नस्लीय पहचान के बारे में लोगों से पूछते हैं। इसलिए शायद हम उन कारणें को जानने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे जो अधिक अंतरजातीय विवाहों के लिए जिम्मेदार हैं। जाति के विनाश के लिए ऐसी शादियां आवश्यक हैं। लेकिन हमारे पास इन तथ्यों के बारें में कई सुराग नहीं है क्योंकि हम अभी तक आवश्यक डाटे उत्पन्न करने के लिए ही तैयार नहीं है।

लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर एक और डर है जो दिमाग को त्रस्त किये हुए है। जनगणनाकार मूल रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं या अन्य सरकारी अधिकारी जो हर घर में जाते हैं और जनगणना फॉर्म भरते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में या तो ब्राह्म्ण होते हैं या फिर अन्य उच्च जाति समूहों से होते हैं। यहां बड़ी शिद्दत से बात महसूस की जा रही है कि ये गणनाकार दलित और मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाते और घर दफ्तर बैठे ही फॉर्म भर देते हैं। और इस तरह से ये लोग इन दो समूहों की जनसंख्या के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ देते है। जातिगत जनगणना के सन्दर्भ में यह खतरा अपने उच्च राजनीतिक मकसद के चलते कई गुना बढ़ जाता है।

जी हां, ये खतरे तो हमेशा से ही रहे हैं। और इसको पूरे मकसद के साथ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10 करोड़ के लगभग है इनके संबंध हिंदू धर्म के किसी भी जाति पदानुक्रम से नहीं है। उनके अपने भगवान है, संस्कार, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और परंपरा है। व हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं करते लेकिन उनको जनगणना के जरिये हिन्दू धर्म से जोड़ दिया है ताकि इस देश में हिन्दुओं की जनसंख्या बढ़ जाए।

इस तरह यह एक लम्बी बहस छिड़ी हुई है कि क्योंकि दलित, जाति से बाहर या हिन्दू जाति पदक्रम से बाहर हैं तो क्या वे हिन्दू धर्म का हिस्सा हैं या नहीं। दलित हिन्दू हैं, लोगों ने इस बात का सम्पूर्ण दलित आंदोलन के इतिहास में दृढ़ता के साथ विरोध किया है। इसलिए इस देश में हिन्दुओं की अधिक संख्या को दिखाने के लिए ऐसे प्रयास हमेशा से होते रहे हैं। और ओबीसी आबादी की गिनती के संदर्भ में भी ऐसी संभावना है कि जानबूझ कर गलतियां की जाए।

इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह के खतरे हैं कि जनगणनाकार जाति पक्षपाती हो जाएं लेकिन फिर भी हमें जातिगत जनगणना के साथ जाना है जनगणना अधिनियम में गलत सूचना की आपूर्ति के खिलाफ मजबूत कानून का प्रावधान है और जांच और क्रास जांच के लिए भी प्रावधान है।

भारत के बुद्धिजीवियों की बीच भी इस बात को लेकर काफी मंथन हो रहा है लेकिन भारत सरकार की ओर से बहुत ज्यादा कुछ आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं आ रहा है। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की इस पूरी बहस में खुद को कैसे प्रकट किया है

भारत सरकार की दलीले विचलित करने वाली हैं। यह जनगणना से जाति की गिनती अलग रखना चाहती है, और इसे अलग से आयोजित करना चाहती है। सरकार इसके लिए 2000 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन जनगणना फार्म में जाति के लिए सिर्फ एक और कॉलम जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब आप देखे कि हमारा सिस्टम कैसे षड्यंत्र में काम करता है। यह ऐसे किसी भी मौके से इन्कार करने की कोशिश कर रहा है जिससे जातिगत जनगणना हो। और यदि ये संभव नहीं है तो वे इसे जनगणना से अलग करना चाहते हैं। अभी तक तो भारत सरकार का इसे करने का कोई इरादा नहीं है वे बस कोशिश कर रही है कि जहां तक संभव हो समय निकलता जाय। ताकि वे कह सकें कि तैयारी या समय की कमी के चलते जातिगत जनगणना 2011 में संभव नहीं हो सकती।

जब सभी राजनीतिक दलों ने फिर से जीओएम (मंत्रियों के समूह) के सामने जातिगत जनगणना करने की आवश्यकता को दोहराया तब सरकार एक और प्रस्ताव लेकर आई कि इसे यूआईडी के साथ करवाना चाहिए और इसकी कार्यप्रणाली पर सभी राजनीतिक समूहों के विचार जानने के लिए सरकार उनके पास फिर से वापिस चली गई। जब दवाव बनाया गया तो अब सरकार एक अलग प्रक्रिया में जाति की गिनती करवाने की बात कर रही है जो और कुछ नहीं महज संसाधनों का अपव्यय है।

सरकार के इस हाल ही के प्रस्ताव, जिसमें वे जाति गिनती से जनगणना को

अलग रखना चाहती हैं को लेकर विरोध के आपके क्या कारण हैं ?आप इसे बहानेबाजी क्यों कह रहे हैं?

हाल ही में सरकार ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है। इसमें तीन चीजें गौरतलब हैं। पहला कि जातिगत जनगणना को जनगणना से अलग किया जाएगा, दूसरा कि इसके लिए कानूनी ढांचा तैयार होगा, तीसरा कि एक विशेषज्ञ समिति आंकड़ों का विश्लेषण और इनको सारणीबद्ध करने के लिए नियुक्त की जाएगी। हमारा मुख्य विवाद है कि अगर जातियों की गिनती जनगणना के माध्यम से केवल एक कॉलम और जोड़ देने से हो जाती है तब हम जातियों की गिनती कर जनगणना में पहले से मौजूद विभिन्न सामाजिक,आर्थिक सूचकों को साथ जोड़कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी साथ साथ जान सकते हैं। यही वास्तविक आंकड़े हैं जो हमें देश के बेहतर प्रशासन के लिए संसाधनों के समान वितरण और भारतीय समाज की सही तस्वीर उभारने के लिए चाहिए। लेकिन वे इस तरह के आंकड़ों को लोगों की जानकारी में नहीं आने देना चाहते। इसीलिए वे सिर्फ एक अलग प्रक्रिया में लोगों की जाति पूछने के लिए 2000 करोड़ रूपये खर्च करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको सिर्फ जातियों के किसी भी सामाजिक आर्थिक मानचित्र से रहित आंकड़ें मिलेंगे तो इससे आपको यादवों, बाल्मिकीयों, ठाकुरों की संख्या का तो पता होगा लेकिन देश में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी सापेक्ष पहूंच के बारे में पता नहीं चल पाएगा।

लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि ये आंकड़े भी हमारे पास आसानी से नहीं आने वाले हैं। सरकार एक विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कर रही है जो कि प्रत्येक जाति पर केस दर केस अध्ययन करेगी और निश्चित करेगी कि कौन सी जाति कौन से समूह में जाएगी और तभी आंकड़ों को बाहर लाएगी। अब हमें इस विशेषज्ञ समिति की जरूरत क्यों है जब कि हमारे पास अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय और राज्य सूची पहले से ही है। इस समिति को अब भारतीय मंत्रीमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये जाति संबंधित आंकड़े अगले साल फरवरी से सितम्बर तक इस विशेषज्ञ समिति को सौंप दिए जाएगें। जरा सोचिए इससे कितने मामले दर्ज होंगे, कितने आंदोलन पैदा होंगे और मुक्कमल अरतव्यस्तता का होना एकदम स्वाभाविक है। लोग कहेंगे कि हम इस जाति से हैं हमें ओबीसी में शामिल क्यों नहीं किया गया? ऐसी स्थिति में ये आंकड़े आने वाले कम से कम दस वर्षों में भी पूरे नहीं हो पायेगें। अब इस परिदृश्य की तुलना ऐसे स्थिति से करें जहां जातिगत जनगणना आम जनगणना के साथ हो वहां आप जाति संख्या ही नहीं बल्कि प्रत्येक जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जान सकतें हैं। एक बार इस तरह के आंकड़ें उपलब्ध हो जाते हैं तब सरकार जातियों का जितना चाहे उतना वर्गीकरण और पुनर्वगीकरण कर सकती है।

हमलोगों को ये समझना होगा कि यदि ये मुल्क उनसे बावस्ता है और देश के संसाधनों पर उनका बराबर का हक है तो देश के संर्वागीण विकास के लिए कुछ ही जातियों को देश के संसाधनों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ऐसे परिदृश्य को देखते हुए, क्या आपको निकट भविष्य में जातिगत जनगणना का कोई भी मौका दिखाई देता है।

जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम हैं लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं और वे इस देश को चलाते हैं। जब तक समाज के बीच से इसकी जोरदार मांग नहीं उठेगी वे इसे इतनी आसानी से नहीं होने देगें। हमलोगों को ये समझना होगा कि यदि ये मुल्क उनसे बावस्ता है और देश के संसाधनों पर उनका बराबर का हक है तो देश के संर्वागीण विकास के लिए कुछ ही जातियों को देश के संसाधनों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश के लिए उसकी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होना स्वस्थ संकेत नहीं है। हर बड़े लोकतांत्रिक देश में चाहे वे दक्षिण अफ्रीका हो या कोई यूरोपीय देश, हर तरह के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। हर देश सुक्ष्म स्तर पर आंकड़े एकत्रित कर रहा है। इसीलिए हमारा मानना है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भी वास्तविक आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिए, यह हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।

लेखकों / पाठकों से अनुरोध

"वॉइस ऑफ ओबीसी" ने अपने 11 वे अंक से पाठकों, लेखकों, शुभचिंतकों के पत्रों को प्रकाशित करने की योजना बनाई है। हमारा आग्रह है अपने सभी सुधी पाठकों से कि "वॉइस ऑफ ओबीसी" को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु हमें अपने सुझावों से अवगत करायें। प्रकाशित रचनाओं के बारे में भी आपकी राय हमें हमारे कार्यो को नई दृष्टि देगी।

रचनाकारों से आग्रह है कि सामाजिक न्याय से जुड़े हमें अपने लेख, विचार, यात्रा संस्मरण, आपबीती, आँकड़ों सहित कोई लेख भेजें। प्रकाशन योग्य रचनाओं को हम अवश्य प्रकाशित करेंगे।

संपादक

REPRESENTATION OF OBCs AS ON 1/1/2006 (Data provided by DoPT, Ministry of Personnel)

GROUP A			
		TOTAL	OBC
1	PRESIDENT'S SECRETARIAT	22	0
2	P.M. OFFICE	24	0
3	ELECTION COMMISSION	38	0
	MINISTRY		
1	M/O COAL	30	0
2	M/O EARTH SCIENCES	36	0
3	M/O PARLIAMENTARY AFFAIRS	12	0
4	M/O RAILWAYS	7346	0
5	M/O SHIPPING	52	0
6	M/O SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT	62	0
7	M/O STEEL	8	0
8	M/O RURAL DEVELOPMENT	107	1
	DEPARTMENTS		
1	AGRICULTURAL RESEARCH & EDU	13	0
2	BIO-TECHNOLOGY	41	0
3	CHEMICALS & PETRO CHEMICALS	62	0
4	FERTILIZERS	28	0
5	HEAVY INDUSTRIES	32	0
6	OCEAN DEVELOPMENT	36	0
7	SCIENCE & INDUSTRIAL RESEARCH	28	0
8	DISINVESTMENT	15	0
9	COMMERCE	272	1
	TOTAL	**8274**	**2**

GROUP B			
		TOTAL	OBC
1	PRESIDENT'S SECRETARIAT	95	0
2	VICE-PRESIDENT SECRETARIAT	3	0
	MINISTRY		
1	M/O NEW AND RENEWABLE ENERGY	12	0
2	M/O RAILWAYS	7441	0
3	M/O PANCHAYAT RAJ	7	0
	DEPARTMENTS		
1	AGRICULTURAL RESEARCH & EDU	11	0
2	HEAVY INDUSTRIES	67	0
3	PUBLIC ENTERPRISES	22	0
4	SCIENCE & INDUSTRIAL RESEARCH	2	0
	TOTAL	**7660**	**0**

Compiled by:

AIOBC
ALL INDIA FEDERATION OF OTHER BACKWARD CLASSES EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATIONS
139, Broadway, Chennai - 108. Cell: 938 100 7998

REPRESENTATION OF SCs,STs & OBCs IN THE CENTRAL GOVERNMENT SERVICES AS ON 1.1.2006

GROUP	TOTAL	SC	%	ST	%	OBC	%
A	110613	14347	13	4192	3.8	5942	5.4
B	135890	19685	14.5	7100	5.2	5719	4.2
C	2031192	332644	16.4	139721	6.9	129887	6.4
D	805159	147290	18.3	56561	7	41372	5.1
SWEEPERS	82279	48839	59.4	4492	5.5	1519	
TOTAL	3165133	562805	17.78	212066	6.7	184439	5.83

The above statistics given by the Government reveals that the **representation of OBCs** is a **BIG ZERO** in many departments, while the representation of the upper castes who constitute less than 10 per cent of the population is as under:

Representation of upper castes in Government departments as on 01.01.2006

Group A Posts: 86,132 (77.86%)

Group B Posts: 1,03,386 (76.08%)

SHARE OF OBCs OFFICERS IN IAS/IPS/IFS - 2005			
SERVICES	AUTHORISED STRENGHTH	SHARE OF OBC OFFICERS	%
IAS	5261	221*	4.20
IPS	3498	142**	4.06
IFS	642	43**	6.70
IAS	5261	221*	4.20

Source: DOPT web site and Answer given to Rajya Sabha on 22.12.2005 for unstarred question No 3288 By Hon'ble Minister Suresh Pachouri

IS IT ADEQUATE REPRESENTATION OF OBCs UNDER ARTICLE 16 (4) ?

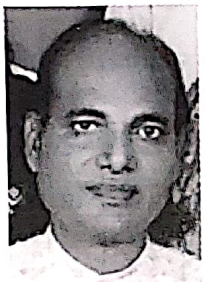

आत्मसम्मान की हमारी यात्रा

अशोक आनन्द

सदियों से भारतीय समाज की संरचना जाति आधारित रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि कि सामाजिक न्याय के तमाम योद्धाओं ने मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी इस दीवार को ढहाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन हमें अब तक आंशिक सफलता ही मिल पाई है। हमारी मंजिल बहुत दूर है।

शासन-प्रशासन में सहभागिता हेतु जातियों की संख्या और हैसियत का ज्ञान बहुत जरुरी है। सामाजिक न्याय की दिशा में मण्डल आयोग के रुप में उठाये गये कदम का घोर विरोध हुआ, जिसके विरोध का आधार यह था कि 1931 का जनगणना के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पहले ही डा. बी.आर. अम्बेडकर के संघर्षो ने आरक्षण दिला दिया था।

वर्ष 1931 में की गयी जाति आधारित जनगणना में तमाम ऐसी जातियाँ पायी गयीं जो समाजिक व शैक्षिक रुप से पिछड़ी थी लेकिन उनकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। इसलिए उनकी कोई सूची नहीं बनायी जा सकी अर्थात वे जातियां अनुसूचित न हो सकी। संविधान में ऐसी ही जातियों की पहचान करने हेतु धारा 340 में आयोग गठित करने का विधान बनाया गया। उन पिछड़ी जातियों की सूची बना ली गयी जो अछूत होने के कारण पहचान योग्य थी। शेष अर्थात अन्य पिछड़ी जातियो के पहचान का कार्य कई आयोग के गठन के बाद अन्त में मण्डल आयोग ने किया।

1931 की संख्या को आधार बनाते हुए देश के कई राज्यों ने ओबीसी को आरक्षण दिया। लेकिन यह आरक्षण केन्द्र में नहीं किया गया। स्वतंत्रता के 43 वर्षो बाद वी.पी. सिंह सरकार ने 7 अगस्त 1990 को संसद में अन्य पिछड़े वर्गो हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण की मंडल कमीशन की अनुशंसा की स्वीकृति दी। निसन्देह यह ऐतिहासिक दिन था।

आज भी ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षिक स्थिति में अभीष्ट परिवर्तन नहीं हो पाया है। 2010-11 के इस राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की संख्या का पता लगाना समय की सबसे बड़ी जरुरत है। इसमें दो राय नहीं कि जातियों की संख्या में भारी परिवर्तन आया है। आरक्षण विराधियों के सवाल के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को कई बार निर्देश दिया है कि (विशेषकर ओबीसी के सम्बन्ध में) जनगणना कर ली जाय। परन्तु अब तक इस दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद में सभी दलों ने अपनी दलीय सीमाओं को लांघकर जाति आधारित गणना का समर्थन किया था। इतने सर्व सम्मत विषय पर और अधिक विलम्ब हमें अचरज में डालता है।

हमें यह भी जान लेना होगा कि जाति आधारित जनगणना समरस समाज बनाने में किस तरह महत्वपूर्ण और सकरात्मक भूमिका अदा करने में सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संख्या बल ज्ञात होने के बाद इन जातियों में शासन-प्रशासन में सहभागिता की ललक बढ़ेगी और यह भूख उन्हें शिक्षित और योग्य बनाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही साथ सरकारें और सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें इनके हिस्सेदारी की जवाबदेह बन जायेगी। परिणाम स्वरुप अन्य पिछड़े वर्ग में जागृति आयेगी और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकारिक तौर पर ओबीसी की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

मण्डल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद से जाति पाति के बन्धन शिथिल हुए हैं। जाति विशेष होने पर मुनाफा या घाटा कम हुआ है। समता मूलक समाज की दिशा में इससे अच्छी पहल और क्या हो सकती है। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन की गाड़ी चलती रही तो जातीय भेद ही नहीं रह जायेगा। समता मूलक समाज बनने पर जातियों के टूटने की क्रिया स्वभाविक रुप से शुरु हो जायेगी। आरक्षित वर्ग के लोग अपनी बेहतर प्रतिभा, निष्ठा व संवेदना से देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है।

समाज परिवर्तन की आंकाक्षा ने मनुष्य को अधिक जागृत किया है। उनके बढ़ते प्रतिनिधित्व ने उनके आत्म सम्मान को सुखद अहसास दिया है, फिर भी सामाजिक न्याय के संघर्षमयी आन्दोलनकारियों को, सामाजिक आजादी चाहने वालों को, अभी बहुत काम करना है।

UPSC-09 में सफल हुए के SC/ST & OBC छात्रों का चेन्नई में अभिनंदन समारोह

14 अगस्त 10 को चेन्नई में ट्रस्ट फॉर सोशल जस्टिस एवं यूनियन बैंक ओबीसी संगठन चेन्नई के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 09 में सफल हुए तमिलनाडु के एससी, एसटी और ओबीसी प्रतिभागियों हेतु अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।

डा. के. वीरामणी अध्यक्ष द्रविणकजगम् सभागार को संबोधित करते हुए

डा. एम. नागनाथन, तमिलनाडु योजना आयोग के उपाध्यक्ष संबोधित करते हुए

फेडरेशन के अध्यक्ष एम. गंगैयन सभागार को संबोधित करते हुए

वॉइस ऑफ ओबीसी (अंग्रेजी) के संपादक श्री जे. पार्थसारथी संबोधित करते हुए

यूनियन बैंक अ.पि. वर्ग क.क.संघ के सचिव श्रीमती जी. मलारकोडी संबोधित करते हुए

AIOBC फेडरेशन के महासचिव श्री जी. करुणानिधि सभागार को संबोधित करते हुए

यूनियन बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री एल. के. सिकरी सभागार को संबोधित करते हुए

यूनियन बैंक अ.पि. वर्ग क.क.संघ के सचिव श्री एस. सेकरन संबोधित करते हुए

श्री उदयचरण IAS डायरेक्टर ग्रामीण विकास तमिलनाडु संबोधित करते हुए

श्रीमती आर. भाग्यदेवी IRS डायरेक्टर, कर्मचारी चयन आयोग तमिलनाडु, सिविल सेवा परीक्षा 09 में सफल हुई सुश्री आर. ललिता को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। दाएं से दूसरे खड़े हैं श्री उदयचरण, IAS डा.के. वीरामणी, डा. एम. नागनाथन।

24 एवं 25 अप्रैल 2010 को मुम्बई विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन हॉल में Caste Discrimination, Afirmative action, Transformative Social Movement in Independent India and Development of Human Capital in emerging economics Order विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर 300 से अधिक डेलिगेट्स ने भाग लिया। सेमिनार का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री बी0 एन0 कृष्ण द्वारा किया गया। अन्य गणमान्य अतिथियों में बाम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रिबेलो, पूर्व कानून मंत्री श्री राम जेठमलानी, भारत सरकार में कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव IAS श्री पी.एस. कृष्णन, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डा. आर.के. काले, मार्टिन लूथर क्रिश्चियन विश्वविद्यालय मेघालय के चान्सलर डा. के. एम. यामाप्रसाद के अलावा कई शिक्षाविद् एवं सामाजिक वैज्ञानिक, विद्यार्थी एवं कानूनविद् उपस्थित थे। UPSC के सदस्य डा. के.एस. चलम ने आधार व्यक्तव्य प्रस्तुत किया एवं विस्तार संबोधन डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य भारत सरकार योजना आयोग ने प्रस्तुत किया। AIOBC फेडरेशन के महासचिव श्री जी. करुणानिधि ने Affirmation Action Program - India - USA apporach पर विस्तृत चर्चा की। चित्र में श्री करुणानिधि को सम्मानित करते हुए मुम्बई लॉ विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख डा. सुरेश माने।

केजीएसजी बैंक

जन-जन का बैंक

काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : सी. 19/40, फातमान रोड, सिगरा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

देश के समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रथम पूर्णतः सी.बी.एस. एवं नेफ्ट सुविधा युक्त बैंक

- सी.बी.एस. बैंकिंग - कहीं भी कभी भी की बैंकिंग सुविधा
- नेफ्ट - जमा राशि का किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में तत्काल प्रेषण
- अंतर शाखा निधि सम्प्रेषण - वाराणसी, चन्दौली, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर एवं अम्बेडकर नगर स्थित शाखाओं में तत्काल प्रेषण
- सूक्ष्म ऋण एवं सूक्ष्म बीमा
- भावी सुविधाएँ - एटीएम, क्रेडिट कार्ड, वायोमेट्रिक कार्ड